रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2011/ज्येष्ठ 13, 1933
No. 293] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2011/JYAISTHA 13, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2011

सा.का.नि. 429(अ).—केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उप धारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जहां तक वे (i) सा.का.नि. 311 तारीख 2 मार्च, 1967, (ii) सा.का.नि. 1260 तारीख 10 अगस्त, 1967, (iii) सा.का.नि. 1447 तारीख 16 सितम्बर, 1967, (iv) सा.का.नि. 1448 तारीख 18 सितम्बर, 1967, (v) सा.का.नि. 1467 तारीख 20 सितंबर 1967, (vi) सा.का.नि. 1503 तारीख 27 सितंबर 1967, (vii) सा.का.नि. 2298 तारीख 15 सितंबर 1969, (viii) सा.का.नि. 2574 तारीख 24 अक्तूबर, 1969, (ix) सा.का.नि. 334 तारीख 25 फरवरी, 1972, (x) सा.का.नि. 1529 तारीख 27 नवंबर, 1972, (xi) सा.का.नि. 590(अ) तारीख 29 दिसंबर, 1975, (xii) सा.का.नि. 601(अ) तारीख 31 दिसंबर, 1975, (xiii) सा.का.नि. 606 तारीख 20 अप्रैल, 1976, (xiv) सा.का.नि. 605 तारीख 22 अप्रैल, 1976, (xv) सा.का.नि. 136 (अ), तारीख 24 मार्च, 1977, (xvi) सा.का.नि. 157(अ) तारीख 1 अप्रैल, 1977, (xvii) सा.का.नि. 417(अ) तारीख 28 जून, 1977, (xviii) सा.का.नि. 45(अ) तारीख 31 जनवरी, 1979, (xix) सा.का.नि. 506(अ) तारीख 10 मई, 1984, (xx) सा.का.नि. 688 तारीख 25 जून, 1984, (xxi) सा.का.नि. 767 तारीख 7 जून, 1984, (xxii) सा.का.नि. 664 तारीख 1 जुलाई, 1985, (xxiii) सा.का.नि. 574 तारीख 31 जुलाई, 1990, (xxiv) सा.का.नि. 258(अ) तारीख 3 मार्च, 1993, (xxv) सा.का.नि. 677(अ) तारीख 29 अक्तूबर, 1993, (xxvi) सा.का.नि. 678(अ) तारीख 29 अक्तूबर, 1993, (xxvii) सा.का.नि. 186(अ) तारीख 12 अप्रैल, 1996, (xxviii) सा.का.नि. 202(अ) तारीख 6 मई, 1996, (xxix) सा.का.नि. 271(अ) तारीख 9 जुलाई, 1996, (xxx) सा.का.नि. 537(अ) तारीख 11 सितंबर, 1997, (xxxi) सा.का.नि. 536(अ) तारीख 11 सितंबर, 1997, (xxxii) सा.का.नि. 704(अ) तारीख 28 सितंबर, 2001, (xxxiii) सा.का.नि. 276(अ) तारीख 24 अप्रैल, 2001 (xxxiv) सा.का.नि. 277(अ) तारीख 24 अप्रैल, 2001, (xxxv) सा.का.नि. 685(अ) तारीख 8 अक्तूबर, 2002 तथा (xxxvi) सा.का.नि. 562(अ) तारीख 2 सितंबर, 2004, तारीख में प्रकाशित लागत लेखा अभिलेख नियम से संबंधित हैं, के अधिक्रमण में, उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं अथवा किए जाने के लिए विलोपित की गई हैं, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लागत लेखा अभिलेख) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे--

2. **परिभाषाएं और व्याख्याएं**-- इन नियमों में जब तक अन्यथा इस प्रकार का उपबंध न किया गया हो,–

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) "अनुपालन रिपोर्ट" से लागत लेखाकार द्वारा अनुपालन रिपोर्ट के निर्धारित प्रपत्र में विधिवत अधिप्रमाणित तथा हस्ताक्षरित अनुपालन रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(ग) इन नियमों के प्रयोजनार्थ "लागत लेखाकार" से लागत एवं संकर्म लेखा कार्य अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथानिर्धारित लागत लेखाकार अभिप्रेत है और जो या तो कंपनी में स्थायी कर्मचारी हैं अथवा उसके पास धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत वैध प्रैक्टिस प्रमाण पत्र है और जिसे उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रैक्टिसरत माना गया है और इसमें लागत लेखाकारों की कोई फर्म शामिल है;

(घ) "लागत लेखा मानक" से संस्थान द्वारा जारी लागत लेखा मानक अभिप्रेत है;

(ड.) "लागत अभिलेख" से कंपनी के उत्पादन, प्रसंस्करण, विनिर्माण अथवा खनन कार्यकलापों को यथाप्रयोज्य सामग्री की उपयोगिता, श्रम तथा लागत की अन्य मदों से संबंधित लेखा बहियां अभिप्रेत है;

(च) "प्रपत्र–क" से इलेक्ट्रोनिक रूप में केन्द्र सरकार के पास अनुपालन रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज दायर करने हेतु इन नियमों में निर्धारित प्रपत्र अभिप्रेत है;

(छ) "प्रपत्र–ख" से अनुपालन रिपोर्ट का प्रपत्र अभिप्रेत है और इसमें अनुपालन रिपोर्ट का अनुबंध शामिल है;

(ज) "सामान्यतः स्वीकृत लागत लेखा सिद्धांतों" से संस्थान द्वारा जारी लागत लेखा सिद्धांत अभिप्रेत है ।

(झ) "संस्थान" से लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अंतर्गत गठित भारतीय लागत एवं निर्माण लेखाकार संस्थान अभिप्रेत है;

(ट) "विनिर्माण कार्यकलाप" में निम्नलिखित के संबंध में प्रयुक्त कोई कार्य, प्रक्रिया अथवा पद्धति शामिल हैं—

(i) कच्ची सामग्रियों, संघटकों, उप संयोजनों अथवा भागों का अर्ध परिष्कृत या परिष्कृत उत्पादों में रूपांतरण; अथवा

(ii) किसी उत्पाद के उपयोग, विक्रय, परिवहन, सुपुर्दगी अथवा निपटान की दृष्टि से उसका निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, फैब्रिकेटिंग, उत्पादन, संयोजन, अलंकरण, साज—सज्जा, फिनिशिंग, पैकिंग, पुनः पैकिंग, ऑयलिंग, धुलाई, सफाई, विखंडन, ध्वंश अथवा अन्यथा उपचार करना या अनुकूल बनाना; अथवा

(iii) किसी उत्पाद का निर्माण, पुनः निर्माण, पुनः संसाधन, सर्विसिंग, पुनः फिटिंग, मरम्मत, फिनिशिंग या विखंडन ।

(ठ) "खनन कार्यकलाप" में समुद्रतल या नदी तल सहित भूपर्पटी से अयस्क, खनिज, तेल, गैस अथवा अन्य भूगर्भीय सामग्रियों के उत्खनन के संबंध में प्रयुक्त कोई कार्य, प्रक्रिया या पद्धति शामिल है ।

(ड) "प्रसंस्करण कार्यकलाप" में निम्नलिखित के संबंध में प्रयुक्त कोई कार्य, प्रक्रिया, क्रियाविधि, कार्यकलाप, संकार्य, तकनीक, उपचार या पद्धति शामिल हैं —

(i) निविष्टियों के उपयोग, खपत, विक्रय, परिवहन, सुपुर्दगी या निपटान हेतु उनकी स्थिति या गुणधर्मों में परिवर्तन करना; अथवा

(ii) उत्पादों को प्राप्त करना, व्यवस्था करना, वर्णन करना अथवा भंडारण करना; अथवा

(iii) ऋणात्मक चित्र तैयार करने या धनात्मक चित्र तैयार करने के लिए फोटोग्राफिक अथवा सिनेमेटोग्राफिक फिल्म या कागज को तैयार करना, फिक्स करना और उसकी धुलाई करना; अथवा

(iv) मुद्रण, प्रकाशन, फिनिशिंग, वेधन, छंटाई, कटाई अथवा पैकेजिंग; अथवा

(v) तेल, गैस, जल, सीवेज या किसी अन्य उत्पाद की पंपिंग, अथवा

(vi) ऊर्जा या विद्युत का रूपांतरण या पारेषण, वितरण, अथवा

(vii) उत्पादों को बंदरगाह पर ले जाना, पोतघाट पर ले जाना, गोदी में ले जाना, उत्तोलन, उतराई, निरावरण, भरण, उठाना, प्रहस्तन अथवा भंडारण; अथवा

(viii) किसी उत्पाद का शीतागार में परिरक्षण या भंडारण; अथवा

(ix) भवनों, या ढांचों का निर्माण, पुनःनिर्माण, पुनःसंसाधन, मरम्मत, सर्विसिंग, पुनः फिटिंग, फिनिशिंग अथवा ढहाना; अथवा

(x) जीवित जीवाश्मों का पालन, पोषाहार, चराई, उपचार, परिचर्या, देखभाल तथा स्थापन; अथवा

(xi) किसी तरीके से अथवा माध्यम के जरिए आवाज, पाठ, तस्वीर, सूचना, आंकड़ों या ज्ञान की टेलीकॉस्टिंग, प्रसारण दूरसंचारण; अथवा

(xii) सूचना या आंकड़ों या जानकारी को प्राप्त करना, संकलन करना, रिकॉर्डिंग, अनुरक्षण, पारेषण, धारण या उपयोग करना; अथवा

(xiii) कंप्यूटर की मैमोरी मे कुछेक रूपांतरण और/अथवा आंकड़ों की संगणना करने के लिए मैमोरी में अनुदेश निष्पादित करना ।

(ट) "उत्पाद" से कोई मूर्त या अमूर्त वस्तु, सामग्री, पदार्थ, मद, विचार, जानकारी, पद्धति, सूचना, ध्येय, सेवा आदि अभिप्रेत है जो मानवीय, यांत्रिक, औद्योगिक, रासायनिक अथवा प्राकृतिक कार्य, प्रक्रिया, क्रियाविधि, कार्यकलाप, संकार्य, तकनीक या उपचार का परिणाम है और जो उपभोग, खपत, विक्रय, परिवहन, भंडारण, सुपुर्दगी या निपटान के लिए उद्दिष्ट है ।

(ण) मूर्त उत्पादों के संबंध में "उत्पाद समूह" से ऐसे सजातीय तथा समान उत्पादों [illegible] एक समूह अभिप्रेत है जिसे समान या समनुरूप उत्पादन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए समान कच्ची सामग्री से तैयार किया गया है और [illegible] समान भौतिक अथवा रासायनिक विशेषताएं तथा मांग की [illegible] है और जिसके समान या समनुरूप कार्य अथवा अनुप्रयोग है; और अमूर्त उत्पादों के संबंध में सजातीय अथवा ऐसे समनुरूप उत्पादों अथवा सेवाओं का कोई समूह अभिप्रेत है जिसे समान या समनुरूप प्रक्रिया अथवा निविष्टियों के उपयोग से तैयार किया गया है,

जिसमें समान विशेषताएं तथा मांग की समान इकाई और जिसके समान या समनुरूप कार्य या अनुप्रयोग हैं ।

(त) "उत्पादन कार्यकलाप" में निम्नलिखित के संबंध में प्रयुक्त कोई कार्य, प्रक्रिया या पद्धति शामिल है –

(i) मूर्त निविष्टियों (कच्ची सामग्री, अर्धपरिष्कृत उत्पाद, अथवा उपसंयोजन) और अमूर्त निविष्टियों (विचार, सूचना, जानकारी) का वस्तुओं या सेवाओं में रूपांतरण; अथवा

(ii) उपयोग, खपत, विक्रय, परिवहन, सुपुर्दगी या निपटान हेतु किसी उत्पाद का विनिर्माण या प्रसंस्करण या खनन या उत्पादन; अथवा

(iii) वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन द्वारा मूल्य या धन का सृजन ।

(थ) "कुल कारोबार" से कंपनी द्वारा वित्त वर्ष के दौरान सभी उत्पादों या सेवाओं के विक्रय या आपूर्ति से किया गया सकल कारोबार अभिप्रेत है । इसमें उजरती कार्य या ऋण लाइसेंस संकार्यों से किया गया कोई कारोबार शामिल है परंतु कोई गैर–प्रचालनात्मक आय शामिल नहीं है ।

(द) इन नियमों में प्रयुक्त परंतु परिभाषित न किए गए और अधिनियम तथा अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत बनाए गए नियमों में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जैसा कि अधिनियम या नियम, जैसा भी मामला हो में उन्हें प्रदान किया गया है ।

3. लागू होना – (1) ये नियम अधिनियम की धारा 591 में यथापरिभाषित किसी विदेशी कंपनी सहित ऐसी प्रत्येक कंपनी को लागू होंगे जो उत्पादन, प्रसंस्करण, विनिर्माण अथवा खनन कार्यकलापों में लगी हुई है और जिसमें तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की अंतिम तारीख के अनुसार निवल संपत्ति का कुल मूल्य 5 करोड़ रुपए से अधिक है; अथवा जिसमें तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान सभी उत्पादों या कार्यकलापों के विक्रय या आपूर्ति से कंपनी द्वारा किये गये कारोबार का कुल मूल्य 20 करोड़ रूपए से अधिक है; अथवा जिसमें कंपनी की इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया गया है अथवा वे किसी स्टॉक एक्सचेंज चाहे वह भारत में हो या भारत से बाहर हो में सूचीकरण की प्रक्रिया चल रही हो ।

परंतु ये नियम ऐसी किसी कंपनी को लागू नहीं होंगे जो किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित कोई कारपोरेट निकाय है,

परंतु यह और कि ये नियम निम्नलिखित नियमों में से किसी में शामिल उत्पादों या कार्यकलापों को लागू नहीं होंगे,—

(क) लागू लेखा अभिलेख (बल्क औषध) नियम, 1974
(ख) लागू लेखा अभिलेख (प्रतिपादन) नियम, 1988
(ग) लागू लेखा अभिलेख (उर्वरक) नियम, 1993
(घ) लागू लेखा अभिलेख (चीनी) नियम, 1997
(ङ) लागू लेखा अभिलेख (औद्योगिक एल्कोहल) नियम, 1997
(च) लागू लेखा अभिलेख (विद्युत उद्योग) नियम, 2001
(छ) लागू लेखा अभिलेख (पैट्रोलियम उद्योग) नियम, 2002
(ज) लागू लेखा अभिलेख (दूरसंचार) नियम, 2002

4. **अभिलेखों का रखरखाव**— (1) प्रत्येक कंपनी जिस पर ये नियम लागू होते हैं, जिसमें उसकी सभी इकाइयां और शाखाएं शामिल हैं, अप्रैल, 2011 के प्रथम दिन को या उसके बाद शुरू हुए प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में लागत अभिलेख रखेगी ।

(2) उप नियम (1) में उल्लिखित लागत अभिलेख नियमित आधार पर इस ढंग से रखे जाएंगे ताकि प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक आधार पर उसके उत्पादों तथा कार्यकलापों हेतु प्रति इकाई उत्पादन लागत या संकार्य लागत, बिक्री लागत तथा मार्जिन की गणना संभव हो सके ।

(3) लागत अभिलेख संस्थान द्वारा जारी सामान्यतः स्वीकृत लागत लेखा सिद्धांतों और लागत लेखा मानकों के अनुसार उस सीमा तक रखे जाएंगे जिस सीमा तक ये संगत और प्रयोज्य पाए गए हैं । अंतर यदि कोई हो, को स्पष्ट तौर पर निर्दिष्ट किया जाएगा और उसकी व्याख्या की जाएगी ।

(4) लागत अभिलेखों का रखरखाव संसाधनों के उपयोग में अधिकतम किफायत करने की दृष्टि से इस ढंग से किया जाएगा ताकि कंपनी यथासंभव विभिन्न संकार्यों तथा लागतों पर नियंत्रण रख सके । इन अभिलेखों में ऐसे आवश्यक आंकड़े भी उपलब्ध होंगे जिन्हें इन नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

(5) इन नियमों के अंतर्गत रखे गए ऐसे सभी लागत अभिलेखों तथा लागत विवरणों का वित्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ मिलान किया जाएगा जिसमें लागत अभिलेखों या विवरणों में विचार न किया गया व्यय या आय को निर्दिष्ट किया जाएगा ताकि सत्यता और कंपनी के समग्र लाभ के साथ सभी उत्पाद समूहों के लाभ का मिलान किया जा सके । अंतर यदि कोई हो, को स्पष्ट तौर पर निर्दिष्ट किया जाएगा और उसकी व्याख्या की जाएगी ।

(6) किसी वित्त वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती 8 वित्त वर्षों से अनधिक अवधि के संबंध में अथवा जहां कंपनी 8 वर्ष से कम की अवधि से विद्यमान है, वहां सभी पूर्ववर्ती वर्षों के

संबंध में इन नियमों के अंतर्गत रखे गए ऐसे सभी लागत अभिलेख, लागत विवरण तथा मिलान विवरण बेहतर स्थिति में रखे जाएंगे ।

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (6) और (7) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह कंपनी द्वारा इन नियमों के उपबंधों का उसी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी यथोचित कदम उठाए जैसे कि वह उक्त अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपेक्षित लेखों को रखने के लिए बाध्य है ।

5 **अनुपालन रिपोर्ट का प्रपत्र**— प्रत्येक कंपनी, जिसको ये नियम लागू होते हैं, अप्रैल, 2011 के प्रथम दिन को या उसके बाद शुरू हुए प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में किसी लागत लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित अनुबंध सहित एक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

6. **अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा**— प्रत्येक कंपनी नियम 5 में उल्लिखित अनुपालन रिपोर्ट कंपनी के उस वित्त वर्ष, जिससे अनुपालन रिपोर्ट संबंधित है, की समाप्ति से 180 दिन के भीतर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

7. **अनुपालन रिपोर्ट के अनुबंध का अधिप्रमाणन**— लागत लेखाकार द्वारा यथासत्यापित अनुपालन रिपोर्ट के साथ निर्धारित अनंबंध कंपनी द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

8. **शास्ति** — (1) यदि इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन में लागत लेखाकार द्वारा कोई चूक की जाती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो पांच हजार रूपए तक हो सकता है ।

(2) यदि कोई कंपनी इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है तो कंपनी और प्रत्येक अधिकारी जो चूक करता है, जिसमें अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (6) में उल्लिखित व्यक्ति भी शामिल हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (5) और (7) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (2) में किए गए उपबंध के अनुसार दंडनीय होगा ।

9. **व्यावृत्ति**— (1) लागत लेखा अभिलेख नियम के अधिक्रमण से निम्नलिखित पर किसी भी रूप में प्रभाव नहीं पड़ेगा —

(क) इसके अंतर्गत अर्जित, उद्भूत या उत्पन्न कोई अधिकार, दायित्व या देनदारी;

(ख) इसके अंतर्गत किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में उद्भूत कोई शास्ति, जब्ती या दंड; तथा

(ग) उपर्युक्तानुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देनदारी, शास्ति, जब्ती या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या राहत, और संस्थापित की जाने वाली, जारी रखे जाने वाली या प्रवृत्त की जाने वाली ऐसी कोई जांच, विधिक कार्यवाही अथवा राहत तथा लगाया जाने वाला ऐसा कोई जुर्माना, जब्ती, या दंड मानो कि इन नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया था ।

[फा. सं. 52/10/सीएबी-2010]

बी. बी. गोयल, सलाहकार (लागत)

प्रपत्र—क	केन्द्र सरकार के पास अनुपालन रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज दायर करने का प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ), 600(3)(ख) और कंपनी (लागत लेखा अभिलेख) नियम, 2011 के नियम 2 के अनुसरण में]

भाग 1 – सामान्य सूचना

टिप्पणी: * पर उल्लिखित सभी क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है ।

1 (क) *कारपोरेट पहचान सं. (सीआईएन) या कंपनी की विदेशी कंपनी पंजीकरण सं — पहले से भरा हुआ

(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति सं. (जी एल एन)

2 (क) *कंपनी का नाम

(ख) *कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा भारत में कारोबार के प्रमुख स्थान का पता

(ग) *कंपनी का ई–मेल पता।

3 (क) *अनुपालन रिपोर्ट से संबंधित वित्त वर्ष से (दिन/माह/वर्ष)

तक (दिन/माह/वर्ष)

(ख) *निदेशक मंडल की उस बैठक की तारीख जिसमें अनुपालन रिपोर्ट का अनुबंध अनुमोदित किया गया था (दिन/माह/वर्ष)

4. लागत लेखाकार का ब्यौरा

(क) *लागत लेखाकार की श्रेणी ○ व्यष्टि ○ लागत लेखाकार फर्म

(ख) व्यष्टि के मामले में क्या लागत लेखाकार कंपनी के नियमित नियोजन में है अथवा प्रेक्टिस कर रहा है । ○ नियोजन में ○ प्रेक्टिस में

(ग) *उस लागत लेखाकार या लागत लेखाकार फर्म का नाम जिसने कंपनी के लागत अभिलेख सत्यापित किए है

(घ) *लागत लेखाकार या लागत लेखाकार फर्म का आयकर के स्थायी खाता सं.

(ङ) *लागत लेखाकार की सदस्यता संख्या या लागत लेखाकार फर्म की पंजीकरण संख्या

(च) लागत लेखाकार या लागत लेखाकार फर्म का पता

(i) लाइन I

लाइन II

(ii) शहर

(iii) राज्य

(iv) देश

(v) पिन कोड

(छ) *लागत लेखाकार या लागत लेखाकार फर्म का ई–मेल आईडी

5. ***मात्रात्मक सूचना**

क.स.	उत्पाद/सेवा समूह का नाम	इकाई	वार्षिक उत्पादन (मात्रा)	निवल विक्रय	
				(मात्रा)	(मूल्य रूपए मे
क	उत्पादित/विनिर्मित उत्पाद समूह				
	1.				
	2.				
	3. आदि				
ख	सेवा समूह				
	1.				
	2.				
	3. आदि				
ग	व्यापार कार्यकलाप (उत्पाद समूह–वार)				
	1.				
	2.				
	3. आदि				
घ	अन्य आय				
वित्तीय लेखों के अनुसार कुल आय					

2068 GI/11-2

भाग-II

* अनुलग्नक:

1 कंपनी (लागत लेखा अभिलेख) नियम, 2011 के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट — संलग्न

2 वैकल्पिक अनुलग्नक –यदि कोई हो — संलग्न

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक हटाएं

सत्यापन:

मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्रपत्र और इसके अनुलग्नकों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है ।

☐ मुझे निदेशक मंडल के संकल्प सं ☐ दिनांक—— (दिन/माह/वर्ष) द्वारा इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

☐ मुझे इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

डिजिटल हस्ताक्षर हेतु:

प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव (भारतीय कंपनी के मामले में)

अथवा कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि (किसी विदेशी कंपनी के मामले में) — डिजिटल हस्ताक्षर

*पदनाम

*निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक की निदेशक पहचान सं. अथवा प्रबंधक या प्राधिकृत प्रतिनिधि का आय कर पी ए एन, अथवा सदस्यता संख्या, यदि लागू हो अथवा सचिव का आयकर पी ए एन (कंपनी का वह सचिव जो आई सी एस आई का सदस्य नहीं है, अपना आयकर पी ए एन उद्धृत करे)

कंपनी का निदेशक — डिजिटल हस्ताक्षर

निदेशक की निदेशक पहचान संख्या

संशोधित करें | प्रपत्र की जांच करें | पूर्व संवीक्षा | प्रस्तुत करें

यह ई–प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक तरीके से केन्द्र सरकार द्वारा रखी गई फाइल के अनुसार और दायरकर्ता कंपनी द्वारा प्रदत्त सत्यता विवरण के आधार पर लिया गया है

प्रपत्र—ख

अनुपालन रिपोर्ट का प्रपत्र

[देखें नियम 2 तथा नियम 5]

मैंने/हमने .... कंपनी का स्थायी कर्मचारी/प्रेक्टिस में होने के नाते और (कंपनी का नाम) .... जिसका पंजीकृत कार्यालय .... (कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पते का उल्लेख करें) (जिसे कंपनी कहा गया है) है, के लागत लेखा अभिलेख, 2011 के नियम 5 के अंतर्गत लागत लेखाकार नियुक्त होने के बाद अवधि/वर्ष .... (वित्त वर्ष का उल्लेख करें) के लिए उक्त अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत निर्धारित लेखा बहियों तथा अन्य संगत अभिलेखों की जांच की है और निम्नानुसार सत्यापित किया है :

1 मुझे/हमें वह समस्त सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं/नहीं हुए हैं जो मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस अनुपालन रिपोर्ट के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे ।

2 मेरी/हमारी राय में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत निर्धारित कंपनी (लागत लेखा अभिलेख) नियम, 2011 के अनुसार उचित लागत अभिलेख कंपनी द्वारा रखे गए हैं/नहीं रखे गए हैं ताकि कंपनी के सभी उत्पादों/कार्यकलापों के उत्पादन/सकार्य लागत, बिक्री लागत तथा मार्जिन की सही और उचित [illegible] सके।

3 कंपनी द्वारा उत्पाद समूहों/कार्यकलापों के संबंध में विस्तृत इकाई [illegible] तथा उत्पाद/कार्यकलाप-वार लागत विवरण और अनुसूचियां रखी गई है/नहीं रखी गई है ।

4 मेरी/हमारी राय में उक्त बहियों तथा अभिलेखों से कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित ढंग से सूचना [illegible] है/प्राप्त नहीं होती है ।

5 मेरी/हमारी राय में उक्त बहियां तथा अभिलेख भारतीय [illegible] सामान्यतः [illegible] लागत लेखा सिद्धान्तों और लेखा मानकों से उस सीमा तक [illegible] किया गया [illegible] और [illegible] पाया गया है ।

[illegible]

[illegible]

[illegible] के हस्ताक्षर [illegible]

[illegible] संख्या

[illegible]

(i) [illegible]

[illegible]

(iii) [illegible] लागत लेखा अभिलेखों के [illegible] कोई [illegible] उल्लेख करें ।

(iv) लागत [illegible] सकते हैं ।

अनुपालन रिपोर्ट का अनुबंध

[देखें नियम 2 और नियम 5]

1. सामान्य:

(क) कंपनी का नाम:

(ख) पंजीकृत कार्यालय का पता:

(ग) वित्त वर्ष जिससे अनुपालन रिपोर्ट संबंधित है:

2. मात्रात्मक सूचना:

क सं.	उत्पाद/सेवा समूह का नाम	इकाई	वार्षिक उत्पादन (मात्रा)	निवल विक्रय (मात्रा)	निवल विक्रय (मूल्य रूपए में)
क	उत्पादित/विनिर्मित उत्पाद समूह				
	1.				
	2.				
	3. आदि				
ख	सेवा समूह				
	1.				
	2.				
	3. आदि				
ग	व्यापार कार्यकलाप (उत्पाद समूह वार)				
	1.				
	2.				
	3. आदि				
घ	अन्य आय				
वित्तीय लेखों के अनुसार कुल आय					

3. मिलान संबंधी विवरण:

लागत लेखा के अनुसार निवल मार्जिन (लाभ/हानि)	(रूपए में)
क. उत्पादित/विनिर्मित उत्पाद समूहों से	
ख. सेवा समूहों से	
ग. व्यापार कार्यकलापों से	
लागत लेखा के अनुसार योग	
जोड़े: लागत लेखा में विचार न की गई आय (यदि कोई हो)	
घटाए: लागत लेखा में विचार न किया गया व्यय (यदि कोई हो)	
जोड़े/घटाए: स्टॉक मूल्यांकन में अंतर	
वित्तीय लेखों के अनुसार लाभ/(हानि)	

टिप्पणी:

(i) उत्पादित/विनिर्मित उत्पाद समूहों के लिए उसी नामावली का उपयोग करें जिसका उपयोग यथाप्रयोज्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम/नियम में किया गया है।

(ii) सेवा समूहों के लिए उसी नामावली का उपयोग करें जिसका उपयोग यथाप्रयोज्य वित्त अधिनियम/केन्द्रीय सेवाकर नियम में किया गया है।

हस्ताक्षर
नाम
लागत लेखाकार
सदस्यता संख्या
मुहर
तारीख

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2011

G.S.R. 429(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 642 read with clause (d) of sub-section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and in supersession of the Cost Accounting Records Rules in so far as they relate to the Cost Accounting Records Rules published vide (i) G.S.R. 311 dated 2nd March, 1967, (ii) G.S.R. 1260 dated 10th August, 1967, (iii) G.S.R. 1447 dated 16th September, 1967, (iv) G.S.R. 1448 dated 18th September, 1967, (v) G.S.R. 1467 dated 20th September, 1967, (vi) G.S.R. 1503 dated 27th September, 1967, (vii) G.S.R. 2298 dated 15th September, 1969, (viii) G.S.R. 2574 dated 24th October, 1969, (ix) G.S.R. 334 dated 25th February, 1972, (x) G.S.R. 1529 dated 27th November, 1972, (xi) G.S.R. 590(E) dated 29th December, 1975, (xii) G.S.R. 601(E) dated 31st December, 1975, (xiii) G.S.R. 606 dated 20th April, 1976, (xiv) G.S.R. 605 dated 22nd April, 1976, (xv) G.S.R. 126(E) dated 24th March, 1977, (xvi) G.S.R. 157(E) dated 1st April, 1977, (xvii) G.S.R. 417(E) dated 28th June, 1977, (xviii) G.S.R. 45(E) dated 31st January, 1979, (xix) G.S.R. 506(E) dated 10th May, 1984, (xx) G.S.R. 688 dated 25th June, 1984, (xxi) G.S.R. 767 dated 7th July, 1984, (xxii) G.S.R. 664 dated 1st July, 1985, (xxiii) G.S.R. 574 dated 31st July, 1990, (xxiv) G.S.R. 258(E) dated 3rd March, 1993, (xxv) G.S.R. 677(E) dated 29th October, 1993, (xxvi) G.S.R. 678(E) dated 29th October, 1993, (xxvii) G.S.R. 186(E) dated 12th April, 1996, (xxviii) G.S.R. 202(E) dated 6th May, 1996, (xxix) G.S.R. 271(E) dated 9th July, 1996, (xxx) G.S.R. 537(E) dated 11th September, 1997, (xxxi) G.S.R. 536(E) dated 11th September, 1997, (xxxii) G.S.R. 704(E) dated 28th September, 2001, (xxxiii) G.S.R. 276(E) dated 24th April, 2001, (xxxiv) G.S.R. 277(E) dated 24th April, 2001, (xxxv) G.S.R. 685(E) dated 8th October, 2002, and (xxxvi) G.S.R. 562(E) dated 2nd September, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short Title and Commencement**- (1) These rules may be called The Companies (Cost Accounting Records) Rules, 2011.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions and Interpretations.** - In these rules, unless otherwise so provided,---

   (a) "Act" means the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

   (b) "Compliance Report" means compliance report duly authenticated and signed by a cost accountant in the prescribed form of compliance report;

   (c) "Cost Accountant" for the purpose of these rules means a cost accountant as defined in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Cost and

Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and who is either a permanent employee of the company or holds a valid certificate of practice under sub-section (1) of section 6 and who is deemed to be in practice under sub-section (2) of section 2 of that Act and includes a firm of cost accountants;

(d) "Cost Accounting Standards" means the standards of cost accounting, issued by the Institute;

(e) "Cost Records" means books of account relating to utilisation of materials, labour and other items of cost as applicable to the production, processing, manufacturing or mining activities of the company;

(f) "Form-A" means the form prescribed in these rules for filing compliance report and other documents with the Central Government in the electronic mode;

(g) "Form-B" means the form of the compliance report and includes Annexure to the compliance report;

(h) "Generally Accepted Cost Accounting Principles" means the principles of cost accounting issued by the Institute;

(i) "Institute" means the Institute of Cost and Works Accountants of India constituted under the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959);

(j) "Manufacturing Activity" includes any act, process or method employed in relation to:

(i) transformation of raw materials, components, sub-assemblies, or parts into semi-finished or finished products; or

(ii) making, altering, repairing, fabricating, generating, composing, ornamenting, furnishing, finishing, packing, re-packing, oiling, washing, cleaning, breaking-up, demolishing, or otherwise treating or adapting any product with a view to its use, sale, transport, delivery or disposal, or

(iii) constructing, reconstructing, reconditioning, servicing, refitting, repairing, finishing or breaking up of any products.

(k) "Mining Activity" includes any act, process or method employed in relation to the extraction of ores, minerals, oils, gases or other geological materials from the earth's crust, including sea bed or river bed.

(l) "Processing Activity" includes any act, process, procedure, function, operation, technique, treatment or method employed in relation to-

(i) altering the condition or properties of inputs for their use, consumption, sale, transport, delivery or disposal; or

(ii) accessioning, arranging, describing, or storing products; or

(iii) developing, fixing, and washing exposed photographic or cinematographic film or paper to produce either a negative image or a positive image; or

(iv) printing, publishing, finishing, perforation, trimming, cutting, or packaging; or

(v) pumping oil, gas, water, sewage or any other product; or

(vi) transforming or transmitting, distributing power or electricity; or

(vii) harboring, berthing, docking, elevating, lading, stripping, stuffing, towing, handling, or warehousing products; or

(viii) preserving or storing any product in cold storage; or

(ix) constructing, reconstructing, reconditioning, repairing, servicing, refitting, finishing or demolishing of buildings or structures; or

(x) farming, feeding, rearing, treating, nursing, caring, and stocking of living organisms; or

(xi) telecasting, broadcasting, telecommunicating voice, text, picture, information, data or knowledge through any mode or medium; or

(xii) obtaining, compiling, recording, maintaining, transmitting, holding or using the information or data or knowledge; or

(xiii) executing instructions in memory to perform some transformation and/or computation on the data in the computer's memory.

(m) "Product" means any tangible or intangible good, material, substance, article, idea, know-how, method, information, object, service, etc. that is the result of human, mechanical, industrial, chemical, or natural act, process, procedure, function, operation, technique, or treatment and is intended for use, consumption, sale, transport, store, delivery or disposal.

(n) "Product Group" in relation to tangible products means a group of homogenous and alike products, produced from same raw materials and by using similar or same production process, having similar physical or chemical characteristics and common unit of measurement, and having same or similar usage or application; and in relation to intangible products means a group of homogenous and alike products or services, produced by using similar or same process or inputs, having similar characteristics and common unit of measurement, and having same or similar usage or application.

(o) "Production Activity" includes any act, process, or method employed in relation to -

(i) transformation of tangible inputs (raw materials, semi-finished goods, or sub-assemblies) and intangible inputs (ideas, information, know how) into goods or services; or

(ii) manufacturing or processing or mining or growing a product for use, consumption, sale, transport, delivery or disposal; or

(iii) creation of value or wealth by producing goods or services.

(p) "Turnover" means gross turnover made by the company from the sale or supply of all products or services during the financial year. It includes any turnover from job work or loan license operations but does not include any non-operational income;

(q) All other words and expressions used in these rules but not defined, and defined in the Act and rules made under clause (d) of sub-section (1) of section 209 of the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act or rules, as the case may be.

3. **Application-** (1) These rules shall apply to every company, including a foreign company as defined under section 591 of the Act, which is engaged in the production, processing, manufacturing, or mining activities and wherein, the aggregate value of net worth as on the last date of the immediately preceding financial year exceeds five crores of rupees; or wherein the aggregate value of the turnover made by the company from sale or supply of all products or activities during the immediately preceding financial year exceeds twenty crores of rupees; or wherein the company's equity or debt securities are listed or are in the process of listing on any stock exchange, whether in India or outside India.

Provided that these rules shall not apply to a company which is a body corporate governed by any special Act;

Provided further that these rules shall not apply to the activities or products covered in any of the following rules,-

(a) Cost Accounting Records (Bulk Drugs) Rules, 1974
(b) Cost Accounting Records (Formulations) Rules, 1988
(c) Cost Accounting Records (Fertilizers) Rules, 1993
(d) Cost Accounting Records (Sugar) Rules, 1997
(e) Cost Accounting Records (Industrial Alcohol) Rules, 1997
(f) Cost Accounting Records (Electricity Industry) Rules, 2001
(g) Cost Accounting Records (Petroleum Industry) Rules, 2002
(h) Cost Accounting Records (Telecommunications) Rules, 2002

4. **Maintenance of records-** (1) Every company to which these rules apply, including all units and branches thereof shall, in respect of each of its financial year commencing on or after the 1st day of April, 2011, keep cost records.

(2) The cost records referred to in sub-rule (1) shall be kept on regular basis in such manner so as to make it possible to calculate per unit cost of production or cost of operations, cost of sales and margin for each of its products and activities for every financial year on monthly/quarterly/half-yearly/annual basis.

(3) The cost records shall be maintained in accordance with the generally accepted cost accounting principles and cost accounting standards issued by the Institute; to the extent these are found to be relevant and applicable. The variations, if any, shall be clearly indicated and explained.

(4) The cost records shall be maintained in such manner so as to enable the company to exercise, as far as possible, control over the various operations and costs with a view to achieve optimum economies in utilization of resources. These records shall also provide necessary data which is required to be furnished under these rules.

(5) All such cost records and cost statements, maintained under these rules shall be reconciled with the audited financial statements for the financial year specifically indicating expenses or incomes not considered in the cost records or statements so as to ensure accuracy and to reconcile the profit of all product groups with the overall profit of the company. The variations, if any, shall be clearly indicated and explained.

(6) All such cost records, cost statements and reconciliation statements, maintained under these rules, relating to a period of not less than eight financial years immediately preceding a financial year or where the company had been in existence for a period less than eight years, in respect of all the preceding years shall be kept in good order.

(7) It shall be the duty of every person, referred to in sub-section (6) and (7) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), to take all reasonable steps to secure compliance by the company with the provisions of these rules in the same manner as he is liable to maintain accounts required under sub-section (1) of section 209 of the said Act.

5. **Form of the Compliance Report** - Every company to which these rules apply shall submit a compliance report, in respect of each of its financial year commencing on or after the 1st day of April, 2011, duly certified by a cost accountant, along with the Annexure to the Central Government, in the prescribed form.

6. **Time limit for submission of Compliance Report** – Every company shall submit the compliance report referred to in rule 5 to the Central Government within one hundred and eighty days from the close of the company's financial year to which the compliance report relates.

7. **Authentication of Annexure to the Compliance Report** – The Annexure prescribed with the compliance report, as certified by the cost accountant, shall be approved by the Board of Directors before submitting the same to the Central Government by the company.

8. **Penalties** – (1) If default is made by the cost accountant in complying with the provisions of these rules, he shall be punishable with fine, which may extend to five thousand rupees.

(2) If a company contravenes any provisions of these rules, the company and every officer thereof who is in default, including the persons referred to in sub-section (6) of section 209 of the Act, shall be punishable as provided under sub-section (2) of section 642 read with sub-sections (5) and (7) of section 209 of Companies Act, 1956 (1 of 1956).

9. **Savings-** The supersession of the Cost Accounting Records Rules, shall not in any way affect-

a) any right, obligation or liabilities acquired, accrued or incurred thereunder;

b) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any contravention committed thereunder; and

c) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, and; any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if those rules had not been superseded.

[F. No. 52/10/CAB-2010]

B. B. GOYAL, Adviser (Cost)

FORM-A	Form for filing Compliance Report and other documents with the Central Government
[Pursuant to section 209(1)(d), 600(3)(b) of the Companies Act, 1956 and rule 2 of The Companies (Cost Accounting Records) Rules, 2011]	

PART I - GENERAL INFORMATION

Note: All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1	(a)	*Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number of the company		Pre-Fill
	(b)	Global location number (GLN) of company		
2	(a)	*Name of the company		
	(b)	*Address of the registered office or of the principal place of business in India of the company		
	(c)	*E-mail Address of the company		
3	(a)	*Financial year covered by the compliance report	From	(DD/MM/YYYY)
			To	(DD/MM/YYYY)
	(b)	*Date of Board of directors' meeting in which annexure to the compliance report was approved		(DD/MM/YYYY)

4. Details of the cost accountant

(a) *Category of the cost accountant

○ Individual	○ Cost accountant's firm

(b) In case of individual, whether the cost accountant is in permanent employment of the company or in practice

○ In Employment	○ In Practice

(c) *Name of the cost accountant or the cost accountant's firm who has certified the cost records of the company

(d) *Income tax permanent account number of the cost accountant or the cost accountant's firm

(e) *Membership number of cost accountant or cost accountant's firm's registration number

(f) Address of the cost accountant or cost accountant's firm

(i) Line I
Line II
(ii) City
(iii) State
(iv) Country
(v) Pin Code

(g) *E-mail ID of the cost accountant or cost accountant's firm

5. ***Quantitative Information**

Sno.	Name of the Product / Service Group	Unit	Annual Production (Qty.)	Net Sales	
				(Qty.)	(Value in Rupees)
A	Produced / Manufactured Product Groups				
	1.				
	2.				
	3. etc.				
B	Services Groups				
	1				
	2.				
	3. etc.				
C	Trading Activities (Product Group-wise)				
	1.				
	2.				
	3. etc.				
D	Other Income				
Total Income as per Financial Accounts					

PART-II

Attachments:

1 Compliance report as per The Companies (Cost Accounting Records) Rules, 2011 — **Attach**

2 Optional attachments(s) – if any — **Attach**

List of attachments

Remove attachment

Verification:

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete.

☐ I have been authorised by the Board of directors' resolution number ☐ dated ☐ (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

☐ I am authorised to sign and submit this form.

To be digitally signed by:

Managing Director or director or manager or secretary (in case of an Indian company) or an authorised representative (in case of a foreign company) — Digital Signatures

*Designation

*Director identification number of the director or Managing Director; or Income-tax PAN of the manager or of authorised representative; or Membership number, if applicable or income-tax PAN of the secretary (secretary of a company who is not a member of ICSI may quote his/her income-tax PAN)

Director of the company — **Digital Signatures**

Director identification number of the director

Modify | Check Form | Pre-scrutiny | Submit

This e-form has been taken on file maintained by the Central Government through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company

FORM-B

FORM OF COMPLIANCE REPORT

[See rule 2, and rule 5]

I/We .... being in permanent employment of the company / in practice, and having been appointed as cost accountant under Rule 5 of the Companies (Cost Accounting Records) Rules, 2011 of .... *(mention name of the company)* having its registered office at .... *(mention registered office address of the company)* (hereinafter referred to as the company), have examined the books of account prescribed under clause (d) of sub-section (1) of section 209 of the said Act, and other relevant records for the period/year .... *(mention the financial year)* and certify as under:

1 I/We have/have not obtained all the information and explanations, which to the best of my/our knowledge and belief were necessary for the purpose of this compliance report.

2 In my/our opinion, proper cost records, as per Companies (Cost Accounting Records) Rules, 2011 prescribed under clause (d) of sub-section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956, have/have not been maintained by the company so as to give a true and fair view of the cost of production/operation, cost of sales and margin of all the products/activities of the company.

3 Detailed unit-wise and product/activity-wise cost statements and schedules thereto in respect of the product groups/activities are/are not kept in the company.

4 In my/our opinion, the said books and records give/do not give the information required by the Companies Act, 1956 in the manner so required.

5 In my/our opinion, the said books and records are/are not in conformity with the generally accepted cost accounting principles and cost accounting standards issued by The Institute of Cost and Works Accountants of India, to the extent these are found to be relevant and applicable.

Dated: this ____ day of _________ 20__ at ________________ *(mention name of place of signing this report)*

SIGNATURE & SEAL OF THE COST ACCOUNTANT (S)
MEMBERSHIP NUMBER (S)

NOTES:

(i) Delete words not applicable.

(ii) If as a result of the examination of the books of account, the cost accountant desires to point out any material deficiency or give a qualified report, he shall indicate the same against the relevant para.

(iii) Briefly give your observations and suggestions, if any, relevant to the maintenance of cost accounting records by the company.

(iv) Cost accountant may use separate sheet(s) for (ii) and (iii) above, if required.

ANNEXURE TO THE COMPLIANCE REPORT
[See rule 2 and rule 5]

1. GENERAL:

a) Name of the company:

b) Registered office address:

c) Financial year to which the Compliance Report relates.

2. QUANTITATIVE INFORMATION:

Sno.	Name of the Product / Service Group	Unit	Annual Production (Qty.)	Net Sales	
				(Qty.)	(Value in Rupees)
A	Produced / Manufactured Product Groups				
	1.				
	2.				
	3. etc.				
B	Services Groups				
	1.				
	2.				
	3. etc.				
C	Trading Activities (Product Group-wise)				
	1.				
	2.				
	3. etc.				
D	Other Income				
Total Income as per Financial Accounts					

3. RECONCILIATION STATEMENT:

Net Margin (Profit/Loss) as per Cost Accounts	(In Rupees)
A. From Produced / Manufactured Product Groups	
B. From Services Groups	
C. From Trading Activities	
Total as per Cost Accounts	
Add: Incomes not considered in Cost Accounts (if any)	
Less: Expenses not considered in Cost Accounts (if any)	
Add/Less: Difference in Stock Valuation	
Profit/(Loss) as per Financial Accounts	

NOTES:

(i) For produced/manufactured product groups, use the nomenclature as used in the Central Excise Act/Rules, as applicable.

(ii) For services groups, use the nomenclature as used in the Finance Act/Central Service Tax Rules, as applicable.

SIGNATURE
NAME
COST ACCOUNTANT (S)
MEMBERSHIP NUMBER (S)
SEAL
DATE

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.